न्यायामूर्ति *एमएम कुमार और टीपीएस मनु,* **जे जे के** ***समक्ष***

भारतीय संघ,- ***याचिकाकर्ता***

बनाम

गुरबक्स पाल और अन्य -*प्रतिवादी*

सीडब्ल्यूपी संख्या 17003/सीएटी 2004

5 जनवरी 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—तदर्थ आधार पर पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में विवाद—मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप दिया गया —यूओआई ने तदर्थ सेवा की अवधि के लिए वरिष्ठता का लाभ वापस लेने का आदेश दिया—न्यायाधिकरण ने इसे रद्द किया आवेदकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता देते हुए आदेश - यूओआई ने फिर से तदर्थ आधार पर बिताई गई अवधि को छोड़कर पदोन्नति की तारीखों में बदलाव का आदेश दिया - ट्रिब्यूनल ने आवेदकों को उनकी तारीख से वरिष्ठता के लाभ का हकदार मानते हुए रद्द करने का आदेश दिया प्रारंभिक ज्वाइनिंग-उसे चुनौती-उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ न्यायाधिकरण ने वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए तदर्थ सेवा की अवधि की गणना करने के लिए पार्टियों के अधिकारों को मान्यता दी-उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन-याचिका लागत के साथ खारिज कर दी गई।

माना गया कि एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रिब्यूनल ने वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए *तदर्थ* सेवा की अवधि की गणना करने के लिए पार्टियों के अधिकारों को मान्यता दे दी है, यह भारत संघ के अधिकारियों के लिए खुला नहीं था-याचिकाकर्ता उसी आधार को पुनर्जीवित करने के लिए जिस पर वे अपने और आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई हार चुके हैं। इसी तरह, वे ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रद्द नहीं कर सकते, जिसने 7 मार्च, 1990 के आदेश के *जरिए श्री* नरेश जोशी को समान लाभ दिया था। इसलिए, रिट याचिका भारी लागत के साथ खारिज होने योग्य है।

(पैरा 9)

-पुनीत जिंदल, *याचिकाकर्ता के वकील।*

सुवीर सहगल, *प्रतिवादी संख्या I के वकील।*

माननीय एमएम कुमार, जे.

(1) भारतीय संघ के एक अधिकारी डिवीजन कार्मिक अधिकारी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच द्वारा

पारित 23 जुलाई, 2004 (पी-9) के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। चंडीगढ़ (संक्षिप्तता के लिए **' द ट्रिब्यूनल ')**। ट्रिब्यूनल ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर द्वारा पारित दिनांक 9 मई, 2003 के आदेश को चुनौती देते हुए समय-समय पर पारित न्यायिक आदेशों द्वारा उन्हें दी गई वरिष्ठता का लाभ छीन लिया, जैसा कि बाद के पैराग्राफ से स्पष्ट होगा। .

(2) नरेश जोशी नाम का एक कर्मचारी था , जो पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक के पद पर कार्यरत था। ट्रिब्यूनल के पहले के फैसले के आधार पर वह **नरेश जोशी** बनाम के मामले में दिए गए 7 मार्च, 1990 के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं से अपनी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए राहत प्राप्त करने में सफल रहे। **भारत संघ** (ओए संख्या 710/जेके/88, 7 मार्च 1990 को निर्णय लिया गया) (ए-8)। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसार, श्री नरेश जोशी को ट्रिब्यूनल द्वारा 27 अप्रैल, 1987 को **विजय कुमारवेमु यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में पारित पहले के फैसले का लाभ दिया गया था।** विजय कुमार के मामले में 27 अप्रैल, 1987 को पारित ट्रिब्यूनल का आदेश इस प्रकार है:-

> "हमने दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। यह पार्टियों का स्वीकृत मामला है कि आवेदक 2 मई, 1977 से पूछताछ और आरक्षण क्लर्क के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, जिस पद पर वेतनमान रु । 330-560 हालांकि यह दिखाने का कोई आदेश नहीं है कि आवेदक को पूछताछ और आरक्षण क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए कभी पदोन्नत किया गया था या आदेश दिया गया था। हम प्रतिवादियों के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि आवेदक के प्रेषकों को उस पद के वेतनमान के अनुदान के बिना पूछताछ और आरक्षण क्लर्क के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आवेदक का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक को उस अवधि के लिए पूछताछ और आरक्षण क्लर्क के रूप में पदोन्नत माना जाए जब उसने वास्तव में रुपये के वेतनमान में *तदर्थ आधार पर उस पद पर काम किया है* । 330-560 और उन्हें उस पद के सभी परिणामी लाभ दिए जाने चाहिए।
>
> ऊपर जो कहा गया है और चर्चा की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए, आवेदन को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

(3) दूसरे शब्दों में, श्री नरेश जोशी को उस अवधि के लिए पूछताछ और आरक्षण क्लर्क के रूप में पदोन्नत माना गया था, जब उन्होंने वास्तव में रुपये के वेतनमान में *तदर्थ आधार पर काम किया था* । 330-560. ट्रिब्यूनल ने उस पद पर काम करने के सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश भी जारी किए। विजय कुमार *(सुप्रा)* के मामले में , पूछताछ और आरक्षण क्लर्क के रूप में *तदर्थ पदोन्नति की* तारीख 2 मई, 1977 थी और नरेश जोशी के मामले में यह अक्टूबर, 1977 थी।

(4) समस्या का प्रारंभिक बिंदु तब है जब याचिकाकर्ता ने 7 मार्च, 1990 (ए-8) को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन की आड़ में श्री नरेश जोशी को आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के ऊपर रखा और कथित तौर पर ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर अवमानना याचिका संख्या 70/1991 में की गई टिप्पणियों का अनुपालन। 7 मार्च, 1990 को नरेश जोशी के मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से दिनांक 6 जुलाई, 1994/24 अगस्त, 1994 के आदेश को आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा ओए संख्या 76 दायर करके चुनौती दी गई थी। /पीबी/1995 क्योंकि दिनांक 6 जुलाई 1994/24 अगस्त 1994 के आदेश के अनुसरण में आवेदक-प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को श्री नरेश जोशी से कनिष्ठ बना दिया गया। ट्रिब्यूनल ने दिनांक 10 अक्टूबर, 1995 के आदेश द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 1994/24 अगस्त, 1994 के आदेश को बरकरार रखा और श्री नरेश जोशी को आवेदक-प्रतिवादी संख्या

I से 3 के ऊपर और एक श्री शिव चरण कुमार धवन के साथ रखा। ट्रिब्यूनल के 10 अक्टूबर, 1995 के आदेश के खिलाफ, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और अन्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर, 1996 के आदेश के तहत जारी किए गए निर्देश स्वयं बोल रहे हैं और शब्दशः पढ़े जाने योग्य हैं, जो इस प्रकार हैं : -

"गुरबैक्स पॉल और *अन्य,-पेट इट आयनर "*

बनाम

यूओआई और अन्य, - *उत्तरदाता*

आदेश

विशेष अवकाश स्वीकृत.

चार अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 4 नरेश कुमार जोशी पर वरिष्ठता का दावा किया। यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 4 विजय कुमार ने वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अमृतसर के समक्ष एक आवेदन संख्या 755/86 रखा था , जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें वह 27 अप्रैल को सफल हुए। 1987; ट्रिब्यूनल ने कहा कि उन्हें उस अवधि के लिए पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क के रूप में पदोन्नत माना जाना चाहिए, जब उन्होंने वास्तव में रुपये के वेतनमान में *तदर्थ आधार पर उस पद पर काम किया था* । 330-560 और उसे इसके लिए सभी परिणामी लाभ भी दिए जाने चाहिए। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 4 नरेश कुमार जोशी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन संख्या 710/जेके/88 दायर किया, जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा विजय कुमार के मामले में दिए गए फैसले के आधार पर आवेदन का निर्णय लिया गया और न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार आदेश दिया:

"उपरोक्त निर्णय के अनुरूप (संदर्भ विजय कुमार के निर्णय का है) हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदक को अक्टूबर से पूछताछ और आरक्षण क्लर्क के रूप में पदोन्नत माना जाएगा। 1978 रुपये के वेतनमान में । 330-560 और वह उसे स्वीकार्य सभी परिणामी लाभों का भी हकदार है।"

फलस्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 4 को अक्टूबर से पदोन्नत मान लिया गया। 1978 और उन्हें परिणामी लाभ प्रदान किये गये। इसके अलावा, इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि इसने नरेश कुमार जोशी को आवेदकों से वरिष्ठ बना दिया, भले ही, माना जाता है कि अपीलकर्ता वर्ष 1977 से पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क कैडर में थे। प्रतिवादी नंबर 4 के विद्वान वकील असमर्थ थे यह बताने के लिए कि कैसे प्रतिवादी संख्या 4 ने अपीलकर्ताओं पर वरिष्ठता का दावा किया, इस स्पष्ट कारण के लिए कि अपीलकर्ता 1977 के प्रवेशकर्ता होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 से वरिष्ठ थे। भारत संघ का तर्क है कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के आदेश के कारण उसे वरिष्ठता दी है। हम यह पता लगाने में विफल रहे कि नरेश कुमार जोशी के मामले में पारित आदेश से आवेदकों की वरिष्ठता कैसे परेशान हो सकती है, नरेश कुमार जोशी की वरिष्ठता का प्रश्न सामने आया। अपीलकर्ताओं के पास अपनी वरिष्ठता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।

इसलिए, मामले पर समग्र दृष्टिकोण से हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 4 नरेश कुमार जोशी हमेशा अपीलकर्ताओं से कनिष्ठ थे और इसलिए, वह वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में अपीलकर्ताओं से आगे नहीं रह सकते। ऐसा होने पर, ट्रिब्यूनल के विवादित आदेश को संशोधित करना होगा, इसमें अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 4 के वरिष्ठ के रूप में दिखाया जाएगा। नरेश कुमार जोशी के मामले में आदेश की परवाह किए बिना *पारस्परिक* वरिष्ठता तदनुसार तय की जाएगी। अपील का निपटान तदनुसार बिना किसी लागत के आदेश के किया जाएगा।"

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और श्री नरेश जोशी के बीच *अंतर वरिष्ठता पर विचार किया गया था, जिसे अंतिम रूप मिल गया है।* तदनुसार, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को श्री नरेश जोशी से वरिष्ठ माना जाता था क्योंकि वे वर्ष 1977 से पूछताछ-सह- बचाव क्लर्क के कैडर से संबंधित थे, जबकि श्री नरेश कुमार जोशी ने अक्टूबर, 1978 से काम करना शुरू किया था। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि श्री नरेश जोशी हमेशा आवेदक-प्रतिवादी नंबर 1 से 3 तक कनिष्ठ थे। एक बार मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, तो दोनों पक्षों के लिए मनोरंजन के लिए शायद ही कोई जगह बची थी। आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और श्री नरेश जोशी की *पारस्परिक वरिष्ठता* के संबंध में कोई संदेह । मेरे द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 2 दिसंबर, 1996 को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा 5 मार्च, 1997 को एक आदेश पारित किया गया था। तदनुसार, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उनकी कार्य तिथि को ध्यान में रखते हुए श्री नरेश जोशी से ऊपर वरिष्ठता

प्रदान की गई थी । पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क रुपये के वेतनमान में । 1,200-2,040.

(6) 5 मार्च 1997 के आदेश में कुछ त्रुटि के बहाने 27 मार्च 1997 को एक और आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता-भारत संघ ने महसूस किया कि आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को गलती से अनुमति दी गई थी। एड*हॉक सेवा* की अवधि के लिए वरिष्ठता का लाभ देते हुए आरोप लगाया कि उपरोक्त मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कभी नहीं उठा या विचार नहीं किया गया। उन्होंने भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली खंड-I के पैरा 302 का भी सहारा लिया, जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठता संबंधित कैडर में नियमितीकरण की तारीख से दी जानी थी। उपरोक्त आदेश को आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा 1998 के ओए संख्या 155/पीबी में फिर से चुनौती दी गई थी। जिसका निर्णय 22 जनवरी को किया गया था।

2002. ट्रिब्यूनल ने यह देखने के बाद 27 मई, 1997 के आदेश को रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता 2 दिसंबर, 1996 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ नहीं जा सकता था और यह पारित आदेशों की अवमानना होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जिसने वास्तव में वरिष्ठता के मुद्दे पर पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर विचार किया था। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अवसर देने के बाद याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी।

(7) ट्रिब्यूनल द्वारा 22 जनवरी, 2002 के आदेश (पी-5) द्वारा जारी निर्देशों के कथित कार्यान्वयन में , वरिष्ठता तय करने का आदेश 9 मई, 2003 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए फिर से पारित किया गया था। 2 दिसंबर, 1996 को (पी-2)। अड़े याचिकाकर्ता ने पूछताछ-सह- आरक्षण क्लर्क के पद पर *तदर्थ आधार* पर आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा बिताई गई अवधि को छोड़कर उनकी पदोन्नति की तारीखों में फिर से बदलाव किया। उपरोक्त आदेश को आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा फिर से चुनौती दी गई और आदेश को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल ने पैरा 8, 9 और 10 में निम्नानुसार कहा: -

(8) . यह स्थापित कानून है कि एक बार सेवा के दौरान वरिष्ठता के उनके अधिकारों से संबंधित विवादों को *अंतिम* रूप मिल गया है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास अनुबंध ए-1 जैसे आदेश पारित करके उन प्रश्नों को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। भले ही अनुबंध A-1 में नरेश जोशी *बनाम* भारत संघ के मामले में OA संख्या 35/PB/98 वाले फैसले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अनुबंध A-11 के फैसले का उल्लेख है, हम राय है कि वास्तव में उन निर्णयों के आयात की सराहना किए बिना। अनुलग्नक ए-1 अनुलग्नक ए-8 और एएल 1 दोनों के आदेश का उल्लंघन करता है। वर्तमान ओए के पक्षकारों के लिए उत्तरदाता *तदर्थ* आधार पर ईआरसी के पद पर आवेदकों की निरंतरता पर विचार करने के लिए आईआरईएम के पैरा 302 का आश्रय नहीं ले सकते थे। , जैसा कि अनुबंध ए-8 में दिए गए फैसले के मद्देनजर है। उक्त पदोन्नति श्री जोशी द्वारा उक्त पद पर कर्तव्यों का पालन करने की प्रारंभिक तिथि से प्रभावी मानी गई । फैसले का लाभ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों को दिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए-11 में अन्य आवेदकों के इस अधिकार को मान्यता दी।

(9) इस प्रकार हम अनुबंध ए-1 के आदेश को अनुबंध ए-8 और एएल 1 के उल्लंघन में पारित करने की घोषणा करते हैं और उसे रद्द करते हैं। हमारा मानना है कि 5 मार्च 1997 का अनुबंध ए-2 का आदेश अनुबंध ए-2 में उल्लिखित निर्णयों का सही अनुपालन था।

(10) इसलिए, वर्तमान OA की अनुमति है। उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर अनुबंध ए को पहले ही रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है । हम आवेदकों को पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की

तारीख से वरिष्ठता के लाभ का हकदार मानते हैं और इस प्रकार घोषणा करते हैं कि दिनांक 5 मार्च, 1997 (अनुलग्नक ए-2) का आदेश सही ढंग से पारित किया गया था। उन्हें ईआरसी के पद पर अनुबंध ए-2 के अनुसार उनकी वरिष्ठता की गणना करने और उसके बाद उसके आधार पर अगले उच्च पद पर उनके अधिकार के अनुसार गिनने का हकदार माना जाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे इस तरह की पदोन्नति के सभी परिणामी लाभों और उनकी *पारस्परिक* वरिष्ठता के निर्धारण के हकदार हैं जैसा कि अनुबंध ए-2 में दिया गया है। ''

(8) व्यथित महसूस करते हुए भारत संघ के अधिकारी ने ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती देते हुए फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(9) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। यह वास्तव में एक अजीब मामला है जहां भारत संघ के अधिकारी आवेदक-प्रतिवादी संख्या के अधिकारों को मान्यता देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2 दिसंबर, 1996 (पी-2) में जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर आमादा हैं। .1 से 3 तक वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए उनकी तदर्थ सेवा जोड़ें। आदेश शब्दों में, जिस दिन से उन्होंने पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क के पद पर कर्तव्य का निर्वहन शुरू किया, उसी दिन से उन्हें पदोन्नत माना गया और परिणामी लाभ के रूप में वरिष्ठता का हकदार माना गया। यही लाभ श्री नरेश जोशी को दिया गया, जिन्होंने अक्टूबर, 1978 से पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क के पद का कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया था। हालाँकि, भारतीय संघ के अधिकारियों ने माननीय सर्वोच्च द्वारा जारी दिशा-निर्देश को दरकिनार कर दिया है। 2 दिसंबर, 1996 को कोर्ट (पी-2) और 7 मार्च, 1990 को ट्रिब्यूनल का फैसला (ए-8) नरेश जोशी (ओए नंबर 710/ जेके ऑफ 1988) के मामले में। इसलिए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए इस तरह के दृष्टिकोण से असंगत विचार की बू आती है और यह पूरी तरह से गलत सलाह है, खासकर जब वे

आईआरईएम के पैरा 302 का हवाला दें। खंड-I. यह मानना उचित है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को भारत संघ के अधिकारियों जैसे अधिकारियों द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, तथ्य इसके विपरीत दिखते हैं। एक बार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रिब्यूनल ने वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए *तदर्थ* सेवा की अवधि की गणना करने के लिए पार्टियों के अधिकारों को मान्यता दे दी, तो यह भारत संघ के अधिकारियों के लिए खुला नहीं था- याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए वही आधार जिस पर वे अपने और आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच 1 आयन* बीएलसी सुप्रीम कोर्ट तक की कानूनी लड़ाई हार गए हैं। इसी तरह वे ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रद्द नहीं कर सकते, जिसने 7 मार्च के आदेश के *जरिए श्री* नरेश जोशी को वही लाभ दिया था। 1990 (ए-8)। इसलिए, रिट याचिका भारी जुर्माने के साथ खारिज होने योग्य है।

(10) रूप में, रिट याचिका विफल हो जाती है। ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा गया है. हालाँकि, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उनकी लागत के हकदार होंगे जो रुपये में निर्धारित हैं। प्रत्येक आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए 10,000। लागत का भुगतान उनके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

आर.एम.आर.

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए

इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) गुरूग्राम, हरियाणा